(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2018 पुनरीक्षण

रा/नि-3572/2018/अशोकनगर/भू.रा

महेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. लालता प्रसाद
निवासी ग्राम अथाई खेडा तहसील मुंगावली
जिला-अशोकनगर (म.प्र. ----आवेदक

विरूद्ध

1- सगुनचन्द पुत्र स्व.श्रीनंदनलाल जैन निवासी रोहित ट्रेडर्स शान्ति नगर मन्दिर के पास वार्ड क्र. 20 अशोकनगर

2- शिखरचंद पुत्र स्व.श्रीनंदनलाल जैन ए 332 ऐशबाग कॉलोनी भोपाल

3- विनोदकुमार पुत्र स्व.श्रीनंदनलाल जैन श्री हार्डवेयर शिवाजी मार्ग अशोकनगर

4- अनिलकुमार स्व.श्रीनंदनलाल जैन लाईफ लाइन हॉस्पीटल के पास महावीर कॉलोनी अशोकनगर

5- कमलाबाई पत्नी स्व.रामचरण दर्जी

6- मुकेश पुत्र स्व.रामचरण दर्जी ग्राम अथाईखेडा तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर

7- प्रमोद कुमार पुत्र स्व.श्रीनंदनलाल जैन छाया साडी शिवाजी मार्ग अशोकनगर

8- पुरूषोत्तम पुत्र स्व.लालताप्रसाद शर्मा

9- उमाशंकर पुत्र स्व.लालताप्रसाद शर्मा ग्राम अथाईखेडा तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर

10- म0प्र0 शासन

मुकेश ... द्वारा आज दि. 6-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आज दिनांक ... को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक ... नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

दिनांक 6/6/18
हस्ताक्षर व नाम

6/6/2018

अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 10/5/2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तगत धारा 50 म0प्र0 भू.राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है।

1- यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि,तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरांत आदेश दिनांक 2-11-1981 को आवेदक के पिता लालताप्रसाद के हित में आदेश पारित किया गया था।

3- यह कि, वर्ष 1981 में पारित आदेश को भूमि स्वामी रामचरण अथवा किसी व्यक्ति द्वारा कभी कोई चुनौती नही दी गई अतः उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है।

4- यह कि, वर्ष 1981 में पारित आदेश के विरूद्ध लगभग 35 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नही किया है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

5- यह कि, वर्ष 1981 में तहसील न्यायालय की कार्यवाही में अनावेदकगण 1 लगायत 4 पक्षकार नही थे और न ही उक्त भूमि पर उक्त दिनांक को उनका कोई स्वत्व नही था इस कारण से भी अनावेदकगण 1 लगायत 4 को उक्त आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। ऐसे असंबद्ध व्यक्तियों की अपील को समयावधि में मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नही किया है।

6- यह कि, भूमि स्वामी रामचरण द्वारा अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश को कभी कोई चुनौती नही दी गई जबकि उन्हें उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी थी क्योंकि उक्त भूमि पर लालताप्रसाद द्वारा मकान का निर्माण 1981 के पूर्व से ही होकर उनका तथा उनकें पश्चात उत्तराधिकारियों वास्तविक आधिपत्य है। भूमि स्वामी द्वारा कभी भी उक्त आधिपत्य को चुनौती नही दी गई।

7- यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदक की ओर से अपील के प्रचलनशीलता एवं समयावधि के बिन्दु पर विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत की थी। अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश में उक्त आपत्तियों का न तो उल्लेख किया गया है और न ही उक्त आपत्तियों का निराकरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश न्याय प्रक्रिया के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3572/2018 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 –7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 26/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.5.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा दिनांक 20.5.18 को धारा–5 पर मात्र यह लेख कर आदेश पारित किया है कि प्रस्तुत नकलों से अपीलांट को सूचना होना नहीं पाया जाता है, इसलिये उनका धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी को धारा–5 के आवेदन का आदेश विस्तार पूर्वक किया जाना चाहिये था। अतः अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा यह कहते हुये धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया है कि नकलों से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को आदेश की जानकारी नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली का आदेश दिनांक 20.5.18 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के प्रकरण कमांक 26/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.5.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह धारा–5 के आवेदन पत्र का विस्तार से आदेश पारित करें। सदस्य	